न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं

बनाम

मुकदमा नम्बर :– /

कम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	1/5/24	आज कोर्ट (अवकाश) होने से पत्रावली आज्ञानुसार दिनांक 9/5/24 को पेश हो। By
	9/5/24	वकिलों द्वारा आज काण्टोलैस/कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 24/5/24 को पेश हो। By
	24/5/24	वकिलों द्वारा आज काण्टोलैस/कार्य स्थगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 27/5/24 को पेश हो। By
	27/5/24	वा० फ० उप० । पत्रावली एवं प्रा० पत्र का अवलोकन किया गया। पूर्व बहस पर मनन किया। प्रा० पत्र वा० मुकाम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। साथ ही वादी का वाद अदेर होने से खारिज किया जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:47:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0/मु0) चौमूँ, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– रतन कौर (R.A.S.)

वाद संख्या :–647/22/2003

रूडमल बनाम नारायण वगै0

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 जाप्ता दीवानी

आदेश

दिनांकः– 27.05.2024

प्रार्थी/वादी 1/4 की और से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 व 9 सपठित धारा 151 सी0पी0सी0 का इस आशय से पेश किया गया है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 नानगराम पुत्र हनुमान सहाय, जाति मीणा, निवासी ग्राम विमलपुरा, तहसील चौमूँ जिला जयपुर का स्वर्गवास दिनांक 23.11.2010 को हो चुका है प्रतिवादी संख्या 6 शैतान पुत्र काना का स्वर्गवास दिनांक 14.10.2017 को व शैतान के पुत्र गंगाराम का स्वर्गवास हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 7 झूथा पुत्र काना, जाति मीणा, निवासी ग्राम विमलपुरा, तहसील चौमूँ जिला जयपुर का स्वर्गवास दिनांक 10.06. 2014 को हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 10 रामकिशोर पुत्र कालू, जाति मीणा, निवासी ग्राम विमलपुरा तहसील चौमूँ जिला जयपुर का दौराने दावा दिनांक 15.09.2009 को स्वर्गवास हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 14 रिछपाल पुत्र लाला का स्वर्गवास दिनांक 04.04.2010 को तथा रिछपाल के पुत्र शंकरलाल का स्वर्गवास हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 12 रामू पुत्र लाला, जाति मीणा, निवासी ग्राम विमलपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर का स्वर्गवास हो चुका है। मृतक प्रतिवादी संख्या 12 जो कि नाऔलाद फौत हुआ है। प्रतिवादी संख्या 17 गुल्ली देवी बेवा ग्यारसी ,जाति मीणा, निवासी ग्राम विमलपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर का स्वर्गवास दौराने दावा हो चुका है। मृतक प्रतिवादी संख्या 17 के वारिसान प्रतिवादी संख्या 15 व 16 पुर्व से ही पक्षकार है जिसमें प्रतिवादी संख्या 17 के नाम आगे मृतक दौराने दावा नाम हजफ लिखा जाना आवश्यक है। मृतक पक्षकारान को रिकॉर्ड पर लेने बाबत कायम मुकामान प्रार्थना पत्र कोरोना काल होने के कारण तथा प्रार्थी/वादी ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति होने के कारण नियत समयावधि में प्रस्तुत नहीं कर सका तथा प्रार्थी/वादी अधिवक्ता द्वारा मृतक पक्षकारान का कायम मुकामान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की जानकारी देने पर प्रार्थी/वादी द्वारा वारिसान के बारे में मालूमात कर उक्त प्रार्थना पत्र अविलम्ब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसे पेश करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश है। उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रतिवादी संख्या 4, 6, 7, 10, 14, 17 के विधिक वारिसान कायम मुकामान को स्वीकार किया जाकर मृतक के वारिसान को पक्षकार संयोजित किया जाकर रिकॉर्ड पर लेने तथा प्रतिवादी संख्या 13 का नाम हजफ किये जाने की अनुमति प्रदान करे।

जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण/वादीगण को शुरू से ही उक्त तथ्यों की जानकारी थी तथा मृत्यु की जानकारी रहते हुए वर्ष 2009 से लेकर 2024 तक ना तो न्यायालय के समक्ष उक्त व्यक्तियों के कायम मुकामान प्रस्तुत किये गये। प्रार्थी/वादी ना तो ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति है, ना ही कानून के बारे में अनभिज्ञ है बल्कि वादी/प्रार्थी स्वयं एक अधिवक्ता है जो पिछले 15 सालों से चौमूँ न्यायालयों में वकालत कर रहा है जिसको समस्त कानून की पूर्ण जानकारी रही है तथा तथ्यों की जानकारी रहते हुए प्रतिवादी संख्या 4, 6, 7, 10, 14, 17 की मृत्यु के बारे में पूर्ण जानकारी थी क्योकि उक्त प्रतिवादीगण की मृत्यु वर्ष 2009 से 2014, 2017 तक उक्त व्यक्तियों की लगातार मृत्यू होती गई तथा उक्त सभी व्यक्ति प्रार्थी/वादी के पारिवारिक सदस्य थे। जिनके समस्त क्रियाक्रम व चाल चलावे में प्रार्थी/वादी स्वयं शामिल रहा तथा अधिवक्ता होने के कारण कानूनन पूर्ण जानकारी थी कि मृत्यु की दिनांक से 90 दिवस में उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक है परन्तु अधिवक्ता होने के बावजूद भी जानबूझकर उक्त प्रार्थना पत्र पेश नही किया जा सका, ऐसी स्थिति में प्रार्थी/वादी का प्रार्थना पत्र अत्याधिक विलम्ब व बिना किसी यथोवत कारण के 14 सालो के विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है प्रार्थी/वादी ने उक्त कायम–मुकामान प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व भी उक्त मृतक प्रतिवादीगण का अधूरे वारिसान का वर्णन कर सभी कायम मुकामान को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:47:54 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) (जयपुर)

Scanned with OKEN Scanner

पक्षकार नही बनाया जाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर अप्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा दिनांक 23.02.2024 को ऐतराज प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिस पर पूर्व में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करवाये बिना उक्त प्रार्थना पत्र सम्पूर्ण तथ्यों को छुपाते हुए प्रार्थी/वादी स्वयं एक अधिवक्ता होने के बावजुद मृतक वारिसान का कायम मुकामान प्रार्थना पत्र करीब 14 सालों के विलम्ब से पेश किया गया है, जो मियाद बाहर होने से खारिज किये जाने योग्य है। तथा प्रार्थी/वादी का वाद अबेटम हो जाने से खारिज किया जाने योग्य है।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण को सुना गया तथा पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/वादी द्वारा प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 4 नानगराम पुत्र हनुमान सहाय, जाति मीणा, निवासी ग्राम विमलपुरा, तहसील चौमूँ जिला जयपुर का स्वर्गवास दिनांक 23.11.2010 को हो चुका है प्रतिवादी संख्या 6 शैतान पुत्र काना का स्वर्गवास दिनांक 14.10.2017 को व शैतान के पुत्र गंगाराम का स्वर्गवास हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 7 झूथा पुत्र काना, जाति मीणा, निवासी ग्राग विमलपुरा, तहसील चौमूँ जिला जयपुर का स्वर्गवास दिनांक 10.06.2014 को हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 10 रामकिशोर पुत्र कालू, जाति मीणा, निवासी ग्राम विमलपुरा तहसील चौमूँ जिला जयपुर का दौराने दावा दिनांक 15.09.2009 को स्वर्गवास हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 14 रिछपाल पुत्र लाला का स्वर्गवास दिनांक 04.04.2010 को तथा रिछपाल के पुत्र शंकरलाल का स्वर्गवास हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 12 रामू पुत्र लाला, जाति मीणा, निवासी ग्राम विमलपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर का स्वर्गवास हो चुका है। मृतक प्रतिवादी संख्या 12 जो कि नाऔलाद फौत हुआ है। प्रतिवादी संख्या 17 गुल्ली देवी बेवा ग्यारसी ,जाति मीणा, निवासी ग्राम विमलपुरा, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर का स्वर्गवास दौराने दावा हो चुका है के कामय मुकामान प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 6 शैतान पुत्र काना के पुत्र गंगाराम , रिछपाल के पुत्र शंकरलाल , प्रतिवादी संख्या 13 रामू पुत्र लाला, प्रतिवादी संख्या 17 गुल्ली देवी बेवा ग्यारसी के स्वर्गवास की दिनांक ही अंकित नही की गई। तथा प्रतिवादी रामू पुत्र लाला को प्रार्थना पत्र में 12 व 13 दोनो क्रमांको से अंकित किया है। पत्रावली में प्रार्थी/वादी द्वारा दिनांक 16.07.2012 को कामय मुकाम प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व सपठित धारा 151 सीपीसी जानबुझकर डिले से पेश किये जाने से न्यायालय द्वारा 200/– रूपये कि कोस्ट पर स्वीकार किया था। तथा दिनांक 25.11.2013 को कामय मुकाम प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 व सपठित धारा 151 सीपीसी भी 2 माह के डिले से पेश किया था तथा दिनांक 23.02.2016 को कामय मुकाम प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व सपठित धारा 151 सीपीसी भी पेश किया था ऐसे में प्रार्थी /वादी को कायम मुकाम प्रार्थना पत्र की जानकारी होना प्रतित होता हैं तथा प्रार्थी/वादी को न्यायालय द्वारा 200/– रूपये की कोष्ट पर प्रार्थना पत्र दिनांक 12.10.2012 को स्वीकार किया गया था ऐसे प्रार्थी/वादी को समय अवधि का भी ज्ञान ना हो ऐसा भी प्रतित नही होता है। साथ ही प्रार्थी/वादी स्वंय एक अधिवक्ता है और कानुन की सम्पुर्ण जानकारी रखता है। उक्त प्रार्थनापत्र पेश करने की समय अवधि का ज्ञान नही होना कतई माननेय योग्य नही है। तथा प्रार्थना पत्र के साथ जो धारा 5 लिमिटेशन प्रार्थना पत्र लगाया है उसमें प्रार्थी ने कोई यथोक्त व सुसंगत कारण दर्शाया नहीं है अतः प्रार्थी/वादी को कायम मुकामाना के प्रार्थना पत्र की सम्पूर्ण जानकारी होते हुए भी जानबुझकर प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया तथा प्रकरण में प्रार्थी/वादी द्वारा न्यायालय के समक्ष अपनी ओर से साक्ष्य अभिलिखित करवाये गये। ऐसे में प्रार्थी/वादी द्वारा जानबुझकर न्यायालय की प्रक्रिया का ज्ञान होते हुए भी न्यायिक में मात्र डिले करने तथा प्रतिवादीगण को हेरान परेशान करने की गरज से दावा की सम्पुर्ण प्रक्रिया को डिले करते हुए पेश किया है ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है । साथ ही प्रार्थी/वादी द्वारा जानबुझकर प्रकरण को डिले करने तथा न्यायिक प्रक्रिया का ज्ञान होने हुए भी न्यायालय के समय का दुरूपयोग करने तथा प्रतिवादिगण को हेरान परेशान करने की गरज से दावा पेश किया प्रतित होने से वादी का वाद अबेटमेंट में खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kour
Date: 2024.07.26 15:47:54 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 27.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(फा0ट्रै0/मुख्यालय)चौमूँ

Scanned with OKEN Scanner